न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1.द्वितीय अपील संख्या– 149/2014–15

श्रीमती सन्तोषी देवी –बनाम– राज्य सरकार आदि

2.द्वितीय अपील संख्या– 150/2014–15

श्री बालकृष्ण –बनाम– राज्य सरकार आदि

3.द्वितीय अपील संख्या–151/2014–15

श्रीमती उषा आदि –बनाम– राज्य सरकार आदि

4.द्वितीय अपील संख्या–152/2014–15

श्री शूरवीर सिंह –बनाम– राज्य सरकार आदि

5.द्वितीय अपील संख्या– 153/2014–15

श्रीमती गीता आदि –बनाम– राज्य सरकार आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण : श्री एस0के0 सुन्द्रियाल।

बावत

मौजा पुरोला, तहसील पुरोला
जनपद उत्तरकाशी।

आदेश

उपरोक्त सभी द्वितीय अपीलें विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–7/06–07 श्रीमती सन्तोषी देवी बनाम सरकार आदि, अपील संख्या–08/2006–07 बालकृष्ण बनाम सरकार आदि, अपील संख्या–09/2006–07 श्रीमती उषा आदि बनाम सरकार आदि, अपील संख्या–10/2006–07 शूरवीर सिंह बनाम सरकार आदि एवं अपील संख्या–11/2006–07 श्रीमती गीता बनाम सरकार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 24–01–2015 तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, पुरोला द्वारा वाद संख्या–11/2002–03/09/04–05 सरकार बनाम श्रीमती सन्तोषी आदि, वाद संख्या–07/2002–03/06/04–05 सरकार बनाम बालकृष्ण, वाद संख्या–09/2002–03/08/04–05 सरकार बनाम श्रीमती उषा, वाद संख्या–12/02–03/10/04–05 सरकार बनाम शूरवीर सिंह आदि एवं वाद संख्या–08/2002–03/07/04–05 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित निर्णयादेशों दिनांक 11–09–2006, 04–09–2006, 06–09–2006 एवं 05–09–2006 के विरूद्व योजित की गई हैं।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार की ओर से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, पुरोला के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिसमें उल्लेख किया गया कि भूमि राजस्व विभाग के कब्जे में शान्तिपूर्ण ढंग से 32–33 सालों से चली आ रही है और अभिलेखों में कलमी भूल व विधिक कार्यवाही न किये जाने के कारण उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई है अतः उक्त भूमि राजस्व विभाग के नाम

भूमिधरी दर्ज कर दी जाय। सहायक कलेक्टर, पुरोला ने उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त अपने निर्णयादेशों से वादी राज्य सरकार को वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया। इन निर्णयादेशों के विरूद्व अपीलार्थीगण ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपीलें योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 24–01–2015 से निरस्त हुई। विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं सहायक कलेक्टर, पुरोला द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरूद्व यह अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अधिवक्ता अपीलार्थी को अपीलों की ग्राह्यता के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अपीलार्थीगण राजस्व अभिलेखों में भूमिधर दर्ज खातेदार हैं जो वादग्रस्त भूमि पर वर्षों से काबिज एवं अध्यासित हैं। सहायक कलेक्टर ने राज्य सरकार को भूमिधर घोषित कर कानूनी त्रुटि की है। राज्य सरकार को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का वाद योजित करने का कोई प्राविधान अधिनियम में नहीं है। राज्य सरकार का सम्पूर्ण सम्पत्तियों पर स्वामित्व होता है तथा अपनी ही सम्पत्ति पर भूमिधरी अधिकार सृजित नही हो सकते हैं। अवर न्यायालयों के निर्णयादेश त्रुटिपूर्ण हैं एवं निरस्त होने योग्य हैं।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार ने वादग्रस्त भूमि पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत वाद सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गये। प्रकरण के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की भूमि को राजस्व विभाग के आवासीय भवनों हेतु अधिग्रहण कर उन्हें वादग्रस्त भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया है जिसकी पुष्टि सहायक कलेक्टर, पुरोला एवं विद्वान आयुक्त के निर्णयादेशों से होती है, परन्तु त्रुटिवश वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज रहा। यद्यपि यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार का सम्पूर्ण सम्पत्तियों पर स्वामित्व होता है और अपनी सम्पत्ति पर भूमिधरी अधिकार सृजित नहीं हो सकते परन्तु अभिलेखों के अवलोकन से ही यह पुष्ट होता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का अपीलार्थीगण को पूर्व में ही प्रतिकर प्रदान किया जा चुका है परन्तु त्रुटिवश अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है।

अतः प्रकरण आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी को इस निर्देश सहित प्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौके पर जाकर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सम्बद्व पक्षों की उपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण करें।

दिनांकः 12 मई, 2015

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।